मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।

विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 425-426
भोपाल, दिनांक 6/8/2020

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी/679/2016

आवेदक
मेसर्स ओरियंट कागज कन्वर्टस प्रा. लि.,
प्लाट न0 14, 125, एवं 16,
सेक्टर – ए, औद्यौगिक क्षेत्र मंडीदीप,
जिला रायसेन–462046 (म.प्र.)

विरूद्ध

अनावेदकगणः–
मेसर्स ट्यूनिप एग्रों प्रा. लि.,
65, बजाज भवन,
निर्माण पॉईंट,
मुंबई – 400 021

अन्तिम सुनवाई दिनांक 14.07.2020

माध्यस्थम आदेश दिनांक 28.07.2020
06-08-2020

1. आवेदक ने दिनांक 19.01.2016 को इस काउन्सिल के समक्ष, अनावेदकगणों के विरूद्ध मूलधन राशि रू. 7,02,733/– एवं दिनांक 31.08.2015 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 3,06,453/– कुल बकाया राशि रू. 10,09,186/– का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

2 दावा आवेदन अनुसार अनावेदक ने कुल 65,000 सामग्री की मात्रा कोरूगेटेड ट्रे ऑन जूस 12गुणा1 लीटर 15,000 नग दिनांक 09.01.2013 एवं ऑन जुस 12गुणा1 लीटर 35,000 नग :दिनांक 24.01.2013 को प्रदाय आदेश जारी किया। प्रदाय आदेश का कुल मूल्य रू. 8,40,000/– है।

3 आवेदक द्वारा प्रदाय आदेश के परिपालन में 53830 नग सामग्री का प्रदाय कुल 12 इन्वाईसेस के माध्यम से, कुल राशि रू. 9,99,218/– की सामग्री का प्रदाय किया गया।

4 आवेदक द्वारा 9,99,218/– के विरूद्ध रू. 7,02,733/– का दावा प्रस्तुत किया है।

5 आवेदक द्वारा दावा आवेदन पत्र के समर्थन में, अनावेदक द्वारा जारी प्रदाय आदेश, आवेदक द्वारा प्रदायित सामग्री की इन्वाईसेस, डिलीवरी चालान, पत्राचार, ब्याज गणना पत्रक, विलंबित अवधि एवं करंट इयर की ऑडिटेड बैंलेंस शीट, उद्यम द्वारा जिला व्यापरा एवं उद्योग केन्द्र में मेमोरेण्डम प्रस्तुत करने की अभिस्वीकृति, प्रायवेट लिमिटेड कंपनी तथा दावा प्रस्तुत करने वाले की अधिकारिता का प्रमाण पत्र के दस्तावेजो की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 2328–29 दिनांक 29.02.2016, अनावेदक को उत्तर प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित किया गया।

अनावेदक द्वारा पत्र दिनांक 27.06.2016 को उत्तर प्रस्तुत किया कि अनावेदक इकाई को जो तैयार

.....2

माल प्रदाय किया गया, वह गुणवत्ता के अनुरूप नही था एवं यह दावा आवेदन मुंबई कोर्ट में प्रेषित होना चाहिये था।

प्रकरण सुनवाई दिनांक 16.06.2016, 21.12.2016, 15.03.2017, 27.01.2018, 27.08.2018, 05.102018, 29.10.2018, 07.12.2018, 11.01.2019, 20.02.2019 एवं दिनांक 14.07.2020 को नियत कर, उभयपक्षों को सुनवाई के सूचना पत्र/ई–मेल जारी किये गये।

सुनवाई दिनांक 14.07.2020 को आवेदक उपस्थित हुए। अनावेदक अनुपस्थित।

अनावेदक द्वारा 27.06.2016 को काउन्सिल के समक्ष पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा एक माह का समय उत्तर देने के लिये मांगा गया है। प्रकरण में अनावेदक की उपस्थित दर्ज है। अतः यह नही कहा जा सकता कि उन्हे नोटिस तामिल नही है। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र एवं संलग्नक अभिलेखों तथा अनावेदक का उत्तर का परीक्षण एव अवलोकन किया गया, जिससे निम्न वाद हेतु बनते हैः–

1. क्या काउन्सिल को दावा आवेदन पर सुनवाई का अधिकार है।
2. क्या आवेदक द्वारा गुणवत्ता के अनुरूप तैयार माल प्रदाय नही किया था।
3. क्या आवेदक, अनावेदक से दावा भुगतान राशि मूलधन एवं ब्याज राशि पाने का अधिकारी है।

1. अनावेदक का यह कथन कि प्रकरण मुंबई में चलना चाहिये, तथा काउन्सिल को प्रकरण में सुनवाई का अधिकार नही है, यह तर्क, विधि पूर्ण नही है क्योंकि इकाई मध्यप्रदेश में पंजीकृत है।
2. अनावेदक का यह कथन कि अनावेदक इकाई को जो तैयार माल प्रदाय किया गया, वह गुणवत्ता के अनुरूप नही था, मान्य योग्य नही है, क्यौंकि आवेदक द्वारा जो पैकिंग मटेरियल उन्हे सप्लाई किया गया, उसकी जांच मेसर्स हरषी इंडिया प्रा. लि. द्वारा की गई है। मेसर्स हरषी इंडिया प्रा. लि. वह इकाई है जहॉ अनावेदक के उत्पाद को पैक किया जाता है। उनके द्वारा गुणवत्ता के संबंध में कोई आपत्ति नही ली गई है।
3. आवेदक द्वारा अनावेदक को कुल राशि रू. 9,99,218/– की 53830 नग सामग्री का प्रदाय प्रदाय किया गया, तथा आवेदक द्वारा बकाया राशि रू. 7,02,733/– एवं इस पर दिनांक 31.08.2015 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 3,06,453/– कुल बकाया राशि रू. 10,09,186/– का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार सामग्री प्राप्ति दिनांक से अधिकतम 45 दिवस की समयावधि अनावेदक द्वारा आवेदक को भुगतान किया जाना था। अनावेदक द्वारा सामग्री प्राप्त करने के उपरांत आवेदक को बकाया राशि रू. 7,02,733/–भुगतान नहीं किया गया है। अतः आवेदक, अनावेदक से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 के प्रावधान अनुसार ब्याज सहित भुगतान पाने का अधिकारी है।

अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम–09 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काउन्सिल निर्णय देती है कि अनावेदक मेसर्स ट्यूनिप एग्रों प्रा. लि.,

.....3

65, बजाज भवन, निर्माण पॉईंट, मुंबई द्वारा, बकाया संदाय राशि रू. 7,02,733/– (रूपये सात लाख दो हजार सात सौ तैतीस मात्र) एवं इस राशि पर दिनांक 31.08.2015 तक की ब्याज राशि रू. 3,06,453/– (रूपये तीन लाख छ हजार चार सौ त्रेपन मात्र) कुल राशि रू. 10,09,186/– (रूपये दस लाख नौ हजार एक सौ छियासी मात्र) एवं भुगतान दिनांक तक, के ब्याज का भुगतान आवेदक मेसर्स ओरियंट कागज कन्वर्टस प्रा. लि., प्लाट न0 14, 125, एवं 16, सेक्टर – ए, औद्यौगिक क्षेत्र, मंडीदीप, जिला रायसेन (म.प्र.) को आदेश पारित होने की सूचना प्राप्ति दिनांक से, 30 दिवस में किया जावे।

अनावेदक द्वारा समयावधि में भुगतान न करने पर, आवेदक, अनावेदक द्वारा उपरोक्तानुसार देय कुल राशि पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 में वर्णित प्रावधान अनुसार, भुगतान दिनांक तक, मासिक आधार पर, चक्रवृद्धि ब्याज, पाने का अधिकारी होगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 19 में निहित आज्ञापक प्रावधान अनुसार, अनावेदक, पारित इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील दिनांक तक की, कुल संगणित ब्याज सहित मूलधन राशि की 75 प्रतिशत राशि, सक्ष्म प्राधिकारी/अपील न्यायालय के समक्ष जमा कर, इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील कर सकेगा।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, "मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद" भोपाल को आवेदन कर, प्रति पृष्ठ हेतु रू. 2/– के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद स्वयं वहन करेंगे।

(दीपाली रस्तोगी)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(अनन्या विश्वास)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक प्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।

(सी. मिंज)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल, एवं
सहायक ~~प्रबंधक~~ निदेशक
एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।